राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-6 अंक : सत्रहवाँ वर्ष : 2010 वि.सं. : 2066-67 बिक्री के लिये नहीं

''अधिकारों के प्रति जागरूक रहो-कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो''

अध्यक्ष-जस्टिस एन.के. जैन

आयोग के विगत पांच वर्ष (30.6.2010 तक) एक नजर में

- करीब 18138 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 17148 परिवाद का *logical conclusion* के साथ निस्तारण किये गये तथा 990 प्रकरण लम्बित हैं। जिनमें करीब 210 दिशा-निर्देशित मामलों में से करीब 165 मामलों में वास्तविक कियांविति कर आयोग को सूचित किया गया, करीब 45 परिवादों में दिए गये दिशा-निर्देश विभिन्न विभागों के स्तर पर पेंडिंग है।
- *Legal Literacy and Awareness Programme* के अन्तर्गत आमजन में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता के लिए विभिन्न कानूनी विषयों पर 32 बुकलेट्स आयोग के माननीय अध्यक्ष जस्टिस एन0के0जैन द्वारा लिखी गई। जिनमें से 18 का प्रकाशन आयोग के द्वारा किया गया। कुछ बुकलेट्स करीब 82 संस्थाओं द्वारा भी पुनः प्रकाशित करवाकर आयोग को सूचित किया गया। अब तक लगभग 90,000 (नब्बे हजार) बुकलेट्स निःशुल्क वितरित की जा चुकी है। पुस्तकें आयोग की वेबसाईट www.rshrc.nic.in व justicenagendrakjain.com पर भी उपलब्ध है। लगभग 100 से अधिक विद्यालयों/ संस्थाओं के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों मे उक्त किताबो के माध्यम से मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। जो कि एक सराहनीय कार्य है। 18 बुकलेट्स का संकलन कर स्कूलों, संस्थान व अन्य विधित लोगों को भेजा गया।
- आयोग की पहल और प्रयासों से संविधान के अनुच्छेद 51-ए में वर्णित मूल कर्तव्यों की बुकलेट व प्रारूप को करीब 105 विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं व संस्थाओं ने प्रकाशित किया तथा विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया जा रहा है। इस प्रारूप के पेम्पलेट्स, कलैण्डर्स, बैनर्स, फ्लैक्सबोर्ड्स करीब 1,40,000 (एक लाख चालीस हजार) की संख्या में वितरित हो चुके हैं।
- विभिन्न विश्व-विद्यालयों/महाविद्यालयों के करीब 71 विधि-विद्यार्थियों ने आयोग में इन्टनशिप के दौरान अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए । 41 पॉवरपाइंट प्रोजेक्ट्स आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। आयोग ने प्रोजेक्टस को समय-समय पर चार सीडी में *consolidate* किया है। ये सी0डी0 विभिन्न विश्व-विद्यालयों/ महाविद्यालयों/विद्यालयों एवं संस्थाओं को वितरित की गई। जो अपने कार्यक्रमों के साथ प्रोजैक्टस को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारित कर मानवाधिकारों के प्रति जनचेतना व जनजागरूकता में सहयोग दे रहे है।
- आयोग के माननीय अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा जयपुर व राज्य के अन्य जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थाओं को मानवअधिकारों की रक्षा एवं अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने की सलाह दी।
- माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पिछले 5 वर्षों में 180 से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य संगठनों के कार्यक्रमों में शिरकत कर मानवअधिकारों के प्रति जन जागरुकता हेतु चर्चा की।
- आयोग द्वारा पिछले पॉच वर्षों में कुल सात वार्षिक प्रतिवेदन (पूर्व वर्षों के 2 सहित) समय पर पेश किये।

इन सभी प्रयासों से आम नागरिकों में मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता व कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना जागृत होगी तथा सभी अपने कर्तव्यों सही तरह से निर्वहन करेंगे और आयोग अपने उद्देश्यों में सफल हो पायेगा।

सम्पादक

-मानवाधिकार आयोग-

पांच वर्ष में 17 हजार से अधिक परिवादों का निपटारा

अध्यक्ष जस्टिस जैन का कार्यकाल पूरा

जयपुर, 15 जुलाई (कार्स)। राज्य मानवाधिकार आयोग ने गत पांच वर्षों में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयोग की सकारात्मक और सार्थक छवि पेश की है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के.जैन ने गुरुवार को अपना कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर यह बात कही। मद्रास एवं कर्नाटक में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके जस्टिस जैन ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर बताया कि आयोग ने समय-समय पर कई अभियान चलाकर लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया।

उन्हें अपने कर्तव्य और दायित्व का भी बोध कराया। आयोग ने आमजन से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया। सभी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस व्यवहार, बालश्रम, रैगिंग, दलितों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, निःशक्तजनों के अधिकार, अतिक्रमण की रोकथाम, सड़कों की स्थिति सहित आमजन से जुड़े कई मुद्दों पर आयोग हमेशा सचेत रहा। समय-समय पर राज्य सरकार और नौकरशाही को नियमों की पालना के निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि आयोग ने गत पांच वर्षों में संविधान के अनुच्छेद 51ए पर विशेष रूप से जोर दिया। इसके पीछे आयोग की मंशा यही रही कि यदि हम अपने कर्तव्यों का संकल्प के साथ पालन करेंगे तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी।

परिवादों का शीघ्र निस्तारण

मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति आयोग की तत्परता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयोग ने परिवादों के शीघ्र निस्तारण का रिकॉर्ड कायम किया है। जैन ने बताया कि आयोग को गत पांच वर्षों में 18 हजार 138 परिवाद प्राप्त हुए जिनमें से 17 हजार 148 का तर्कसंगत निस्तारण किया गया। करीब 990 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें करीब 210 दिशा निर्देशित मामलों में से करीब 165 में वास्तविक क्रियान्विति कर आयोग को सूचित किया गया है और 45 परिवादों में दिए गए दिशा-निर्देश विभिन्न विभागों के स्तर पर लंबित हैं।

कानूनी साक्षरता : आयोग ने कानूनी साक्षरता और जागरूकता अभियान के क्षेत्र में भी मिसाल पेश की है। जैन ने स्वयं मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए 32 बुकलेट लिखीं, जिनमें से 18 का प्रकाशन आयोग की ओर से किया गया। अब तक करीब 90 हजार बुकलेट निःशुल्क वितरित की जा चुकी है। ये पुस्तकें आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। आयोग ने अनुच्छेद 51ए की अवधारणा से संबंधित करीब एक लाख 40 हजार पैम्फलेट्स, बैनर, पोस्टर आदि भी जनहित में वितरित कराए हैं।

आधुनिक संसाधनों से जागरूकता: आयोग ने व्यापक जनजागरूकता के लिए आधुनिक संसाधनों का भी सहारा लिया। आयोग की वेबसाइट पर 41 पॉवर प्वाइंट प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं। इनकी सीडी तैयार कर स्कूलों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भेजी गई हैं। जैन ने भी स्वयं 100 से अधिक शिक्षण संस्थानों व स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों में शिरकत कर मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया।

दैनिक भास्कर | राजधानी | जयपुर · शुक्रवार, 16 जुलाई 2010

एन.के. जैन का कार्यकाल पूरा

राज्य मानवाधिकार आयोग ने पिछले 5 वर्ष में 17 हजार परिवादों का निबटारा किया है। आयोग के अध्यक्ष एन.के.जैन ने गुरुवार को अपना कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर कहा कि आयोग की मंशा यही रही कि यदि हम अपने कर्तव्यों का संकल्प के साथ पालन करेंगे तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। आयोग ने पिछले पांच वर्षों में इसी अवधारणा को केंद्र में रखकर अभियान चलाए और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए।

आयोग ने पेश की सकारात्मक और सार्थक छवि
मानवाधिकारों की रक्षा में दिखाई तत्परता

–राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष

मात्र पांच वर्षों में 17 हजार से अधिक परिवादों का निस्तारण

जयपुर, 15 जुलाई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने विगत पांच वर्षों में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयोग की सकारात्मक और सार्थक छवि पेश की है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एन.के.जैन ने गुरुवार को अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर यह बात कही।

मद्रास एवं कर्नाटक में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके श्री जैन ने राज्य मानवाधिकार आयोग को नई दिशा दी और विगत पांच वर्षों में इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर श्री जैन ने बताया कि आयोग ने समय-समय पर कई अभियान चलाकर लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें अपने कर्तव्य और दायित्व का भी बोध करवाया।

उन्होंने बताया कि आयोग ने आमजन से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया है और सभी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस के व्यवहार, बालश्रम, रैगिंग, दलितों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, निःशक्तजनों के अधिकार, अतिक्रमण की रोकथाम, सड़कों की स्थिति सहित अन्य कई आमजन से जुड़े मुद्दों पर आयोग हमेशा सचेत रहा और समय-समय पर राज्य सरकार और नौकरशाही को नियमों की पालना के निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रेरित किया।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि आयोग ने विगत पांच वर्षों में भारतीय संविधान के आर्टिकल – 51 ए पर विशेष रूप से जोर दिया। इस अवधारणा के पीछे आयोग की मंशा यही रही कि यदि हम अपने कर्तव्यों का संकल्प के साथ पालन करेंगे तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। आयोग ने पिछले पांच वर्षों में इसी अवधारणा को केंद्र में रखकर अभियान चलाए और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए।

परिवादों का शीघ्र निस्तारण

मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति आयोग की तत्परता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयोग ने परिवादों के शीघ्र निस्तारण का रिकॉर्ड कायम किया है। श्री जैन ने बताया कि आयोग को विगत पांच वर्षों में 18 हजार 138 परिवाद प्राप्त हुए, इनमें से 17 हजार 148 परिवादों का तुरंत प्रभाव से तर्कसंगत निस्तारण कर दिया गया। करीब 990 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें करीब 210 दिशा निर्देशित मामलों में से करीब 1 65 में वास्तविक क्रियान्विति कर आयोग को सूचित किया गया है और 45 परिवादों में दिए गए दिशा-निर्देश विभिन्न विभागों के स्तर पर लंबित हैं।

कानूनी साक्षरता की मिसाल पेश की

श्री जैन ने बताया कि आयोग ने विगत पांच वर्षों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता अभियान के क्षेत्र में भी मिसाल पेश की है। श्री जैन ने स्वयं मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए 32 बुकलेट लिखीं, जिनमें से 18 का प्रकाशन आयोग की ओर से किया गया। अब तक करीब 90 हजार बुकलेट निःशुल्क वितरित की जा चुकी हैं। ये पुस्तकें आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। आयोग ने आर्टिकल 51 ए की अवधारणा से संबंधित करीब एक लाख 40 हजार पैम्पलेट्स, बैनर, पोस्टर आदि भी जनहित में वितरित करवाए हैं।

आधुनिक संसाधनों से भी फैलाई जागरूकता

आयोग ने व्यापक जनजागरूकता के लिए आधुनिक संसाधनों का भी सहारा लिया। आयोग की वेबसाइट पर 41 पॉवर प्वाइंट प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं, जिनकी सीडी तैयार कर विभिन्न स्कूलों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भेजी गई हैं, इन शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी इनके माध्यम से लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री जैन ने भी स्वयं 100 से अधिक शिक्षण संस्थानों व स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों में शिरकत कर मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया।

Govt cared little for SHRC, says chairperson

Molina Khimani

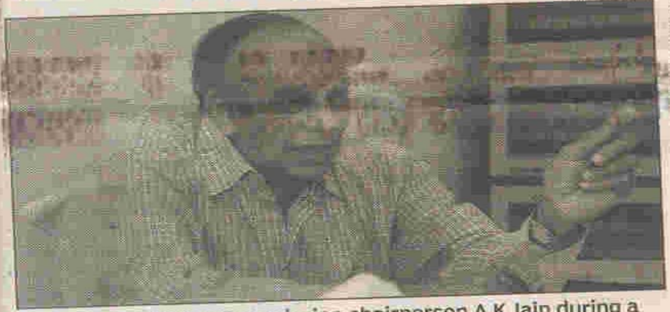

State Human Rights Commission chairperson A K Jain during a press meet in the city on Monday

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur: The office of the chairperson of the state human rights commission will fall vacant on July 15 with the end of tenure of the current chairperson A K Jain.

In a press conference on Monday, Jain described his term as satisfactory. However, he felt that the state government should improve the implementation of orders passed by the commission. In addition, it should also provide a better infrastructure for the body to operate efficiently.

"There has been little help from the government in the implementation of orders passed by the commission. Without political will, there is little meaning in pursuing human rights issues," he said.

He also lamented the lack of infrastructure with the commission. "There is not even a typewriter with the commission," he said.

The outgoing chairperson was satisfied with the commission's achievements despite several constraints. "People, especially the bureaucrats, have always looked at the commission as a body trying to enforce things onto them. But that is not the case. We are basically there to help improve governance. And I am glad that the thought pattern is slowly improving," he added.

"We were also successful in highlighting Article 51 A of the Constitution of India. It highlights the importance of fulfilling one's fundamental duties while demanding their rights," he said. The commission had initially sought the government's help to print posters stating the clauses of this act. "The government was seeking money and the commission had none. I took the help of legal firms and we managed to successfully put up the posters in schools, police station and other institutions," said Jain.

The commission has helped in the internship of about 71 law graduates from various parts of the country. "We identified about 40 projects that could be taken up for spreading awareness on legal issues. We have printed numerous booklets on legal issues and distributed them free of cost to various bodies," he said.

Rights panel faces shortage of manpower and funds

HT Correspondent

lifray@hindustantimes.com

JAIPUR: The State Human Rights Commission faces a shortage of manpower and finances but has tried to do its best, said outgoing chairman of the commission, Justice NK Jain. Jain is scheduled to retire from the post on July 15.

He said the commission has scarcity of funds with which even pamphlets and brochures for public awareness cannot be brought out. "With the cooperation of some public and private sector the commission has been able to print booklets. During past five years the commission has distributed 90,000 booklets which could be printed with assistance of organizations," Jain said.

NK Jain, Doing his best

the commission disposed of 17,148 cases out of total 18,138 cases received during last five years. Only 990 cases are pending so far. "The government departments including the police should follow the instructions of the commission so that people feel secure about their rights. The public should feel responsible about its rights as well as duties," he said. He added that he would spread awareness about human rights in schools and colleges.

दैनिक जलते दीप

आयोग ने पेश की सकारात्मक और सार्थक छवि

राज्य मानवाधिकार आयोग के पांच वर्ष

जयपुर, 15 जुलाई(कास)। राज्य मानवाधिकार आयोग ने विगत पांच वर्षों में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयोग की सकारात्मक और सार्थक छवि पेश की है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के.जैन ने गुरुवार को अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर यह बात कही।

मद्रास एवं कर्नाटक में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके श्री जैन ने राज्य मानवाधिकार आयोग को नई दिशा दी और विगत पांच वर्षों में इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर श्री जैन ने बताया कि आयोग ने समय-समय पर कई अभियान चलाकर लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें अपने कर्तव्य और दायित्व का भी बोध करवाया।

उन्होंने बताया कि आयोग ने आमजन से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया है और सभी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस के व्यवहार, बालश्रम, रैगिंग, दलितों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, नि:शक्तजनों के अधिकार, अतिक्रमण की रोकथाम, सड़कों की स्थिति सहित अन्य कई आमजन से जुड़े मुद्दों पर आयोग हमेशा सचेत रहा और समय-समय पर राज्य सरकार और नौकरशाही को नियमों की पालना के निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रेरित किया।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि आयोग ने विगत पांच वर्षों में भारतीय संविधान के आर्टिकल - 51 ए पर विशेष रूप से जोर दिया। इस अवधारणा के पीछे आयोग की मंशा यही रही कि यदि हम अपने कर्तव्यों का संकल्प के साथ पालन करेंगे तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वत: ही हो जाएगी। आयोग ने पिछले पांच वर्षों में इसी अवधारणा को केंद्र में रखकर अभियान चलाए और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए।

परिवादों का शीघ्र निस्तारण

मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति आयोग की तत्परता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयोग ने परिवादों के शीघ्र निस्तारण का रिकॉर्ड कायम किया है। श्री जैन ने बताया कि आयोग को विगत पांच वर्षों में 18 हजार 138 परिवाद प्राप्त हुए, इनमें से 17 हजार 148 परिवादों का तुरंत प्रभाव से तर्कसंगत निस्तारण कर दिया गया। करीब 990 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें करीब 210 दिशा निर्देशित मामलों में से करीब 165 में वास्तविक क्रियान्विति कर आयोग को सूचित किया गया है और 45 परिवादों में दिए गए दिशा-निर्देश विभिन्न विभागों के स्तर पर लंबित हैं।

कानूनी साक्षरता की मिसाल पेश की

जैन ने बताया कि आयोग ने विगत पांच वर्षों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता अभियान के क्षेत्र में भी मिसाल पेश की है। श्री जैन ने स्वयं मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए 32 बुकलेट लिखीं, जिनमें से 18 का प्रकाशन आयोग की ओर से किया गया। अब तक करीब 90 हजार बुकलेट नि:शुल्क वितरित की जा चुकी हैं। ये पुस्तकें आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। आयोग ने आर्टिकल 51 ए की अवधारणा से संबंधित करीब एक लाख 40 हजार पैम्फलेट्स, बैनर, पोस्टर आदि भी जनहित में वितरित करवाए हैं।

आधुनिक संसाधनों से भी फैलाई जागरूकता

आयोग ने व्यापक जनजागरूकता के लिए आधुनिक संसाधनों का भी सहारा लिया। आयोग की वेबसाइट पर 41 पॉवर प्वाइंट प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं, जिनकी सीडी तैयार कर विभिन्न स्कूलों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भेजी गई हैं, इन शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी इनके माध्यम से लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जैन ने भी स्वयं 100 से अधिक शिक्षण संस्थानों व स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों में शिरकत कर मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया।

मानवाधिकार आयोग ने पांच वर्षों में 17 हजार परिवादों का निस्तारण किया:जैन

जयपुर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने गत पांच वर्षों में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयोग की सकारात्मक और सार्थक छवि पेश की है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के.जैन ने आज यहां अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर यह बात कही। मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके न्यायमूर्ति जैन ने राज्य मानवाधिकार आयोग को नई दिशा दी और गत पांच वर्षों में इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि आयोग ने समय..समय पर कई अभियान चलाकर लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें अपने कर्तव्य और दायित्व का भी बोध करवाया।

उन्होंने बताया कि आयोग ने आमजन से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया है और सभी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए कई महत्वपूर्ण

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन के जैन का कार्यकाल पूर्ण

फैसले लिए। पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस के व्यवहार, बालश्रम, रैगिंग, दलितों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, निःशक्तजनों के अधिकार, अतिक्रमण की रोकथाम, सड़कों की स्थिति सहित अन्य कई मुद्दों पर आयोग हमेशा सचेत रहा और समय-समय पर राज्य सरकार और नौकरशाही को नियमों की पालना के निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रेरित किया।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि आयोग ने गत पांच वर्षों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-51 ए पर विशेष रूप से जोर दिया। इस अवधारणा के पीछे आयोग की मंशा यही रही कि यदि हम अपने कर्तव्यों का संकल्प के साथ पालन करें तो मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी।

न्यायमूर्ति जैन ने बताया कि आयोग को पांच वर्षों में 18 हजार 138 परिवाद प्राप्त हुए इनमें से 17 हजार 148 परिवादों का निस्तारण किया गया और करीब 990 प्रकरण लंबित हैं।

उन्होंने बताया कि आयोग ने कानूनी साक्षरता और जागरूकता अभियान के क्षेत्र में भी मिसाल पेश की है। न्यायमूर्ति जैन ने स्वयं मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए 32 बुकलेट लिखीं जिनमें से 18 का प्रकाशन आयोग की ओर से किया गया। अब तक करीब 90 हजार बुकलेट निःशुल्क वितरित की जा चुकी हैं। ये पुस्तकें आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

सत्रह हजार परिवादों का निपटारा

मानवाधिकारों की रक्षा में दिखाई तत्परता

नवज्योति ब्यूरो

जयपुर, 15 जुलाई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने विगत पांच वर्षों में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयोग की सकारात्मक और सार्थक छवि पेश की है। यह बात आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के.जैन ने गुरुवार को अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर कही। उनका कहना है कि राज्य मानवाधिकार आयोग को दी गई नई दिशा से विगत पांच वर्षों में इसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। समय-समय पर कई अभियान चलाकर लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें अपने कर्तव्य और दायित्व का भी बोध करवाया। उन्होंने बताया कि आयोग ने आमजन से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया है और सभी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस के व्यवहार, बालश्रम, रैगिंग, दलितों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, निःशक्तजनों के अधिकार, अतिक्रमणों की रोकथाम, सड़कों की स्थिति सहित अन्य कई आमजन से जुड़े मुद्दों पर आयोग हमेशा सचेत रहा और समय-समय पर राज्य सरकार और नौकरशाही को नियमों की पालना के निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रेरित किया।

परिवादों का शीघ्र निस्तारण

जैन ने बताया कि आयोग को विगत पांच वर्षों में 18 हजार 138 परिवाद प्राप्त हुए, इनमें से 17 हजार 148 परिवादों का तुरंत प्रभाव से तर्कसंगत निस्तारण कर दिया गया। करीब 990 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें करीब 210 दिशा निर्देशित मामलों में से करीब 165 में वास्तविक क्रियान्विति कर आयोग को सूचित किया गया है और 45 परिवादों में दिए गए दिशा-निर्देश विभिन्न विभागों के स्तर पर लंबित हैं।

कानूनी साक्षरता

जैन ने बताया कि आयोग ने विगत पांच वर्षों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता अभियान के क्षेत्र में भी मिसाल पेश की है। मैंने स्वयं मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए 32 बुकलेट लिखी, जिनमें से 18 का प्रकाशन आयोग की ओर से किया गया। अब तक करीब 90 हजार बुकलेट निःशुल्क वितरित की जा चुकी है। ये पुस्तकें आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। आयोग ने आर्टिकल 51 ए की अवधारणा से संबंधित करीब एक लाख 40 हजार पैम्पलेट्स, बैनर, पोस्टर आदि भी जनहित में वितरित करवाए हैं।

फैलाई जागरूकता

आयोग ने व्यापक जन-जागरूकता के लिए आधुनिक संसाधनों का भी सहारा लिया। आयोग की वेबसाइट पर 41 पॉवर प्वाइंट प्रोजेक्ट उपलब्ध है, जिनकी सीडी तैयार कर विभिन्न स्कूलों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भेजी गई है, इन शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी इनके माध्यम से लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।

जस्टिम एन.के. जैन और जनोन्मुखी नेतृत्व

जस्टिम एन.के.जैन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मानित अध्यक्ष पद पर दिनांक : 16 जुलाई 2005 से पदासीन है। विगत पाँच वर्षो के कार्यकाल में आयोग ने वृहत राजस्थान में मानवधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में जो बुहद्देशीय भूमिका व कार्य निर्वहन प्रणाली का ईजाद व निर्वहन किया है। वह उल्लेखनीय है। मुख्य विशेषता यह देखने में आई है। कि आयोग ने न केवल प्राप्त बहुसंख्यक परिवादों का निस्तारण ही किया है। अपितु रचनात्मक व सकारात्मक समाधान भी खोजा है। फसल पीड़ित पक्ष काफी राहत महसूस कर पाया है।

मुझे यह सोचने को वाध्य करताँ है। कि जो व्यक्तित्व मुख्य न्यायाधिपति मद्रासव कर्नाटक हाईकोर्ट के परमसम्मानित पद पर महत्वपूर्ण न्याययिक फैसले कर चुका है। वह राजस्थान की करीब 6 करोड़ जनता का भारतीय संविधान आर्टिकल 51 ए की मंशा व परिभाषा से किस प्रकार परिचित व शिक्षित करा पाया है। जो अब तक किसी भी एजेन्सी ने नहीं किया था। कए एक रिकार्ड हैं।

भारतीय संविधान का क्या है। उसका संकल्प क्या है। यह मैं प्रबुद्धपाठक वर्ग के अब जो बनायी व नियाकीत दोहराने हेतु प्रस्तुत रहा हूं।

मुझे गर्व है। मैं भारतीय हूँ

और

कर्तव्य निष्ठा से मैं

संविधान का राष्ट्रध्वज का एवं राष्ट्रगान आदत करूँगा।

राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने उच्च आदर्शो का पालन करूँगा।

देश की भारत की एकता अखण्डता और प्रभुता की एवं वन झील नदी और वन्य जीव की रक्षा करूँगा ।

राष्ट्र की सेवा करूँगा।

स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का एवं धर्म भाषा,प्रदेश या वर्ग के अधार पर भेदभाव का त्याग करूँगा

प्राणीमात्र के प्रति दयाभाव रखूँगा।

हिंसा से दूर रहूंगा।

सार्वजनिक सम्पति की संरक्षा करूँगा।

वैज्ञानिक हस्टिकोण का मानववाद का सुधार की भावना का विकास करूँगा ।

भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करूँगा।

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करूँगा।

अधिकारों के प्रति जागरूक रहो कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो।

मानव अधिकार मनुष्य मात्र से जुड़ा हुआ है। मानव अधिकार विश्व की सभ्यताओं की संरचना में सहायक सिद्ध हुआ है। मानव अधिकार आदिकाज से मनुष्य का प्रकृति से प्राप्त है। वायु सूर्य की रोशनी पीने का पानी इत्यादि मनुष्य की प्रकृतिक अधिकार की श्रेणी में आते है। हमने देखा है। कि अतीत में मानव अधिकार विशिष्ट लोगों को प्राप्त होते थे। जैसे निरंकुश शासन में ये अधिकार शासन तक सीमित थे। वे कहते थे। किन्तु समय के साथ 2 मानवअधिकार का विकास हुआ। इंग्लैण्ड में एक लेख के रूप में राजा ने स्वीकार किया। उधर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उसे के रूप में प्रतिपारित किया। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात लीग आफ़ु अशन्स गठन हुआ। संयुक्त यू.एन.ने 1945 में इसको अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता दी। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद को अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए हम 10 दिसम्बर को प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाते है।

यह उल्लेखनीय है कि उक्त डिक्लेरेशन में 1 से 30 अनुच्छेदों को अंगीकार किया गया था। जिसमें यू.एन.ओ. के सभी 30 अनुच्छेद मनतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ जिसमें करीब 2 सभी अनुच्छेदों का मौलिक अधिकारों के रूप में वर्णन किया

गया है। इसके अलावा शेष का नीति निर्देशक सिद्धान्तों में उल्लेख किया गया है। हम लोग भाग्यशाली है कि हमें संविधान में मानवअधिकार मौलिक अधिकार के रूम में हौंसिक हुआ। यह इसकी विकास जाता है।

न्यायापालिका ने आजतक हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। भारत सरकार ने पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना केन्द्र व राज्यों के लिए की। केन्द्र व राज्यों के लिए अस्तित्व में आया।

राजस्थान में राज्य मानव आयोग 2000 में लागू हुआ व दिनांक 6 जुलाई 2005 को किया गया यह आयोग ऑटोनोमस और इन्डीपेन्ड बॉडी है। जिन्हें सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त है। एवं आयोग स्वयं अपने स्तर पर स्वमोटो प्रसंज्ञान भी ले सकता है। और इसे अन्तरिम मुआवजा दिलाने का हक है। आयोग को हरवर्ष अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट एसेम्बली में पेश करनी होती है। जिस पर चर्चा का प्रावधान है। आयोग देश के 17 राज्यों में कार्यरत है।

मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण व सवर्द्धन के हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता से सभी वर्गो विशेष रूप से पीड़ित शोषित कमजोर वर्ग बच्चों महिलाओं एवं दलितों के लिए प्रसारत है। यह आयोग हर लोक सेवक से संवदेन से काम करने की अपेक्षा करता है।

वस्तुत भारतीय संस्कृति में अनादि कारण से सभी कर्तव्यों एवं अधिकारों का समावेश था। जो अब कानून के माध्यम से संविधान एवं अधिनियमों में शामिल किये गये है। जिनका उल्लेख किसी ने किसी रूप में श्रीमद भगवद गीता एवं आचार्य तुलसी कृत अणुवत साहित्य में भी मिलता है।

न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन एन.के.जैन को संस्कार शिक्षा और कर्मक्षेप अनुकूल मिल जाया है। आपका जन्म किस पाये। आपके पिता न्यायमूर्ति स्व श्री जे.पी.जैन थे। एंव माता स्व.श्रीमती पुष्पा जैन थी। जो संदर्मित बुकलैटस पौत्र गौरव जैन एडवोकेट द्वारा उनकी दादा-दादी स्मृति में प्रकाशित की गई है। उनसे उनके जीवन मूल्यों को जीवन में उतारने की तथ्यात्मक जानकारी मिलती है। मैं कहना चाहूँगा कि देश के सच्छे सपूत वे ही लोग है। जिन्होंने देश के नागरिकों में उच्च चरित्र का निर्माण करना चाहताहै। इसके लिए स्वयं व्यक्ति का उदाहरण बनना पड़ता है। महात्मा गांधी का कथन यही था जीवन को सत्यकी प्रयोगशाला जीओ।

आदर्श को व्यवहार में ढालकर जीना ही भारतीयता राष्ट्रीयता व इसाकिकौ है।

यही वजह है कि ने मानव अधिकारों के सक्षण की व्याख्या में इस बात की बार दोहराया है हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते है। वैसा ही व्यवहार दुसरे के लिए करें। अधिकारों के प्रति जागरूक रहो कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो।

जस्टिम एन.के.जैन ने मानव अधिकारा दिवस 10 दिसम्बर पर प्रत्येक वर्ष 2005-2009 अपना मार्मिक उदबोधन प्रसारित व प्रकाशिते किया है। जो राजस्थान वासियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त सिद्ध हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवधिकार दिवस 10 दिसम्बर 2008 को जस्टिम जैन ने उदबोधान दिया वह इस प्रकार है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की 60 वीं वर्षगांठ पर सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

जहां तक मानव अधिकार के संरक्षण कि बात है। यह तभी सम्भव है। ज्ब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए भी जागरूक हो। हर वर्ष 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस पूरे लिख में मनाया जाता है। परन्तु लोगों में अभी उतनी जागरूकता पैदानही दुए है। इस कार्यक्रम में सिर्फ सम्रान्त वर्ग का ही काफी नहीं है। हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गांव गांव की आमजनता को भी इससे जोड़ना होगा जिसमें आगे चलकर वह अन्य लोगों को भी मानव अधिकार के प्रति सचत कर सके। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए । धारा 21 में प्रदत शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान में 18 जनवरी 1999 में आयांग का गठन हुआ तथा मार्च 2000 में अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्ति दुर्द और फिर दिनांक 6-7-2005 को इसका पुनर्गठन हुआ। मैं 16 जुलाई 2005 से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर पिछले 40 माह से कार्यरित है और इस नाते मेरी भी यही कौशिश रही है कि हर परिवाद मामले में समझकर निर्णय लिया जाय जिससे पीडित के अधिकारों का हनन रोका जा सके।

जागरूकता सिर्फ मानव अधिकार क्या है। यह समझने से ही नहीं आऐगी। समझना होगा समर्थ लोग तो अपने अधिकार व मानव अधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम है। परन्तु हर वर्म खासतौर पर पीड़ित उत्पीडित कमजोरियों बच्चों एवं महिलाओं में सरक्षण की बात भी ध्यान होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ साथ संवेदन सीख भी बनना होगा ताकि यदि सडक पर भी किसी था के साथ दुर्घटना हो तो हम वहीं रूक कर उसकी मदद करें ना कि लोग आगे और बहाना बनाये कि कानूनी प्रक्रिया का है। या नहीं जबकि अब तो आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालन ने अपने निर्णय दिनांक 23-2-2007 में भी प्रतिपादित कर दिया है। यदि अब्र भी मानवता के लिए ही किसी के पास सभव नहीं है तो फिर क्या खुद मानवता के लिए ही किसी के पास समय नहीं है तो फिर तथा खुद मानव बने रहने का उन्हें अधिकार होना चाहिए,यह तो आपको स्वयं को ही तय करना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियत 1993 की धारा 2 घ के अनुसार मानव अधिकारों से ताप्पर्य संविधान द्वारा प्रत्या भूत अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में अन्तर्निहित उन अधिकारों से है। जो जीवन स्वतंत्रता समानता प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से सम्बन्धित भारत में न्यायालयो द्वारा प्रवर्तनीय है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रेसाविदा से आशम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसम्बर 1966 को अधि स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रसांविदा तथा अन्तसिद्धीय आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा से है।

जस्टिम जैन ने विगत पांचवर्षो 16.7.2005 से 15.7.2010 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को जो जनोन्मुखी नेतृत्व प्रदान किया है। उससे लोकसेवक प्रबुद्धजन विधायकगण शासन विद्यार्थिगण विभिन्न महकामें के प्रभारीगण अभिभूत है। जस्टिम जैन देश व मानवता के प्रति समर्पित सिद्ध हुए है। क्योंकि उन्होंने मानव अधिकारों की व्याख्या संरक्षण व प्रसारण में शिक्षाविद महानुभावों आध्यात्म विभूतियों काननूविद महानुभावों डाक्टरों शिक्षकों पत्रकारों विद्यार्थियों उद्योगयतियों कलाकारों राजीजनों समाजसेवी सज्जनों पुलिस शिक्षा भाभाशाहों प्रबुद्ध व लोकप्रिय राजनेताओं प्रशासनिक अधिकारियों एवं पीडित आमजनों को जोड़ा है। आपने आयोग की कार्यप्रणाली एवं कार्यकमों में इतना प्रभावी व गतिशील बनाया है। कि यह पता ही नहीं चला कि पांचवर्ष आंख मिचौनी समान निकल गये। मैं सफलता हूं कि राजस्थान राज्य आयोग देश में ऐसा प्रथम आयोग होना चाहिए जिस्में विशाल पैमाने पर जनसाहित्य का प्रकाशन मीडिया का बहुमुखी उपयोग कर जन शिक्षण व जागरण नियमित त्रैमासिक का प्रकाश व प्रेंसण बहुक्षेत्रीय संगोष्ठियां परिचर्चा अनुसंधान व प्रोजेक्ट वर्क वीडियों रीलें सभाये समारोह दिवस विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान प्रेजेक्टर्स स्वैच्छिक संस्थाओं में क्लब जैसे अभूतपूर्व कार्य कर दिखलाये है। केन्द्र सरकार व राजस्थान राज्य सरकार को चाहिए कि वह जस्टिम जैन के नेतृत्व में किये गये पंचवर्षीय मानवधिकार कार्यक्रम की कन्सोजीडेटेड प्रगति रिपोर्ट विश्व में मान्यता दिखाते हेत गिनीज बुक में शामिल कराये।

यह राजस्थान और भारत का गौरव होगा ऐसा मेरा माना ना हैं वस्तुत समस्त कार्यवाही एवं उपस्थित इन्टरनेट पर होने से दीर्घकासीन मार्गदर्शन करती रहेंगी।

साराशंत राजस्थान सरकार भाग्यशाली रही कि उसे जस्टिम एन.के.जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनू जैन का राज्य मानवाधिकार आयोग की गतिविधियों व कार्यकमों के विकास में पर्याप्त योदान रहा। साथ ही आयोग के संगठ नात्मक संरचना में सम्मिलित किये गये अन्य 6 विहाज अधिकारी सदस्य भी साधुवाद के पात्र है। जिन्होंने सारगर्मित कर्मशीजता व सहयोग का परिचय दिया है।

एन.के. जैन साहब के सेवानिहत्ति की शुभदेला मे हम व भावमीना का कृतज्ञ ज्ञापित करते है।

– एम.एल. धोंकरिया

आयोग द्वारा विभिन्न विभागों का उनके नियमित कार्यो की निरन्तर मोनिटरिंग करने बाबत् निर्देश

आयोग द्वारा विभिन्न परिवादों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जैसे– मंदबुद्धि व्यक्तियों के ईलाज, पर्यावरण सुरक्षा, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा भूख व कुपोषण से होने वाली मौतों पर नियंत्रण करने आदि। साथ ही, असहाय, मंदबुद्धि, मनोरोगी, निःशक्तजन एवं लावारिस लोगों की निःशुल्क चिकित्सा व अन्य सुविधा के लिए भी कोई योजना बनाने और जब तक सुचारू योजना लागू ना हो, ऐसे पीडितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत् उन्हें लाभांवित करने। इसके अलावा हिरासत में होने वाली मौत की एफ.एस.एल. रिपोर्ट्स के प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब तथा आवश्यक सेवाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, शहरों में सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई समय पर कराने, विभिन्न विभागों द्वारा सडकों की खुदाई व शीघ्र मरम्मत के लिए आपसी समन्वय, अतिकमणों की रोकथाम के साथ–साथ शहर में पार्किंग व्यवस्था सुचारू एवं सुव्यवस्थित करने, विवाह स्थलों पर सफाई एवं पार्किंग की नियमानुसार व्यवस्था, लोकमित्र मे बिलों की जमा की प्राप्ति रसीद साफ व गहरी प्रिंटिंग वाली देने, जन सुविधा केन्द्र बनाने, पॉलिथिन की थैलियों के प्रयोग पर रोकथाम, मेलों में मानवाधिकारों की जानकारी आदि के लिए भी समय–समय पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए जाते रहे हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य के सभी अस्पतालों में मशीनों एवं उपकरणों की समय पर मरम्मत व रख–रखाव करने, एच0आई0वी0 पीडित / किडनी पेशेन्ट के ईलाज, कैंसर पीडित के लिए सोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने, जेलों में बंदियों को नियमानुसार दिए जाने वाली सुविधाऐं सुनिश्चित करने, बहुमंजिला भवनों में पार्किंग सुविधा, बिजली के खुले एवं नंगे तारों तथा ट्रांस्फारमर को सुव्यस्थित करने, आवारा पशुओं को आम रास्तों व सडकों से हटाने, पेंशनर्स को समय पर ईलाज व दवाईयां मुहैया कराने, मासूम छोटे स्कूली बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम करने, स्कूलों का समय तर्कसंगत करने, स्कूलों में पानी, बिजली, शौचालय की माकूल व्यवस्था करने और बच्चों को लाने–लेजाने वाले ऑटो– टेम्पों, वैन आदि में बच्चों को जगह से कहीं अधिक मात्रा में नहीं भरकर ले जाने की सुव्यवस्था, इसके अलावा कई अन्य तथा कठपूतली नगर ज्योति नगर में रहने वाले व कठपूतली का तमाशा दिखाने में कार्यरत लोगों के लिए कठपूतली ग्राम बनाने पर विचार करने, बूस्टरों का अवैध प्रयोग रोकने, के सम्बन्ध में निर्देश दिए है।

इसके अलावा आयोग के आदेशों की अनुपालना में महानिदेशक (पुलिस) के द्वारा दिए गये दिशा– निर्देशों के बावजूद पुलिस थानों में एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाने की शिकायतें पर अन्य संस्थाऐं बिला वजह अनुसंधान कर अपनी रिपोर्ट आयोग को परिवाद के रूप में भेजती है। इसलिए पुलिस का यह दायित्व है कि वह परिवादी की शिकायत पर तुरन्त एफआईआर दर्ज कर, निष्पक्ष व त्वरित अनुसंधान करें। पुलिस थानों में फरियादियों के साथ अच्छा सलूक करने तथा जिला एवं पंचायत स्तर पर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने आदि के लिए भी आयोग ने समय–समय पर विभिन्न परिवादों में निर्देश जारी किए, साथ में लोगों से यही अपेक्षा की है कि मानव अधिकारों के संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार है, तो किसी का कर्तव्य, दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। सुशासन के लिए अधिकारीगण से अपेक्षा की है कि वह जनहित में कार्य करें, लोक सेवकों के साथ–साथ यह आम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वह लोक सेवकों को कर्तव्य निर्वहन में सहयोग देवें जिससे काम में पारदर्शिता व संवेदनशीलता बनी रहे और आम नागरिकों को परेशानी न हो तथा निरन्तरता के लिए मोनिटरिंग करते रहे।

"It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by humiliation of their fellow beings."

"There is a higher court than the court of justice and that is the court of consciousness. It supersedes all other courts"

- Mahatma Gandhi

जस्टिस एन.के. जैन की उत्कर्ष उपलब्धियां

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मानित अध्यक्ष जस्टिस एन.के.जैन एक ऐसी संवेदनशील, विनयशील व कर्तव्य परायण प्रतिभा है, जो राजस्थान की जनता, जनप्रतिनिधि, लोकसेवक व प्रबुद्धजनों को मानव अधिकारों के प्रति सचेष्ट व जागरूक करने में अपने आपको समर्पित कर दिखलाया है। आयोग के विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान में लोकतंत्र व संविधान की आत्मा का स्वरूप निखरा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए को आत्मसात कराने में जस्टिस जैन ने व्यक्तिगत ईच्छाशक्ति का प्रदर्शन व निज कर्मपथ को गतिमान बनाया है वह श्लाघनीय ही नहीं अपितु लोकतंत्र के इतिहास में लिखने योग्य स्वर्ण पंक्तिया भी है। मैं यह घोषणा इसलिए कर रहा हूं कि मैंने जस्टिस जैन से बार बार साक्षात्कार लिए है और हर बार उन्हें मानव अधिकार और कर्त्तव्य निर्वहन पर काम करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, बोलते हुए और भ्रमण करते हुए मानव अधिकार व कर्त्तव्य बन गई है। वे सर्वत्र मानवीय संवेदनाओं व जीवनमूल्यों की खुशबू बिखेर रहे है। उनका प्रशासनिक कार्यालय एस.एस.ओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर है, किन्तु आमजन में जन जागृति लाने के लिए वे स्कूल, कॉलेज, क्लब, सभा, सम्मेलन, वर्कशॉप, विश्वविद्यालय, स्वैच्छिक संस्थाएं, फैडरेशन्स आदि में स्वयं उपस्थिति दर्ज कराते रहकर "विचार व प्रचार" का दर्शन फलीभूत करते है, अत वे लोकप्रियता व आत्मियता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। वस्तुत: जस्टिस जैन "सिद्धान्त व व्यवहार" के समन्वय की अद्भुत मिसाल है।

राज्य मानव अधिकार आयोग की पंचवर्षीय प्रगति-रिपोर्ट काफी रोमांचकारी है और राजस्थान के लिए गौरव जन्य उपलब्धियां है। प्रबुद्ध पाठकर्म के ज्ञानवर्द्धन हेतु प्रगति आंकड़े प्रेषित है-

विविध कानूनी व अन्य विषयों पर 32 लेखों का प्रकाशन।

आयोग द्वारा 18 बुकलेट्स प्रकाशित कर स्कूल लाइब्रेरी में।

आयोग की अनुमति से समाजसेवियों ने करीब 6000 पुस्तकें पुनः प्रकाशित करवाई और निः शुल्क वितरण की। संविधान आर्टिकल 51 ए की प्रतिभा के 80,000 से ज्यादा कलेण्डर्स और 50,000 पैम्फलेट्स छपवाकर राज्यभर में बंटवायें गये। कुछ संस्थाओं ने तो 4000 व्यक्तियों को ई-मेल भेजकर उक्त अभियान को परवान पर चढ़ाया है। आयोग द्वारा त्रैमासिक न्यूज लेटर का नियमित मुद्रण व प्रकाशन कर प्रोजेक्ट्स को फालोअप किया गया है। आयोग के 5 साल के कार्यकाप में 7 (दो पूर्व के वर्षों सहित) 16 न्यूज लैटर्स के अंक प्रकाशित करवाये हैं और वार्षिक प्रतिवेदन निश्चित समय पर प्रेषित किए गए है।

कॉलेज, यूनिवर्सिटी के 40 छात्र-छात्राओं द्वारा आयोग में इन्टर्नशिप के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए और तैयार की गई है।

कुछ विद्यार्थियों ने अन्य 14 विषयों पर व फिर 7 विषयों पर जैसे महिलाओं के अधिकार, बालकों के अधिकार, दलितों के अधिकार, गिरफ्तारी, बालश्रम, पर्यावरण, रेगिंग, वूमेन ट्रेफिकिंग, कैंसर, एचआईवी एड्स, जुवेनाइल जस्टिस, फीमेल फॉटीसाइट, अर्टिकल 51 ए, आयोग व आयोग की गतिविधियों व दिशानिर्देशों पर पॉवर-पाइंट प्रोजेक्ट तैयार किए।

आयोग ने 14 विषयों की सीडी और फिर 7 विषयों की सीडी तैयार की। विद्यार्थियों की अपनी विभिन्न विषयों पर बनाई सीडी संबंधित लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दिखलाई जा रही है। साथ में करीब 23 संस्थाओं ने आयोग द्वारा उपलब्ध कार्य कई कन्सोलीडेटेड सीडी का अपने विभिन्न कार्यक्रमों में आमजन को विविध जानकारी के साथ प्रोजेक्टर पर प्रदर्शन करवाकर विद्यार्थी व आम नागरिकों से अवगत कराने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वह प्रशंसनीय है।

यह उल्लेखनीय है कि आयोग को पिछले 56 महीनों में करीब 17100 परिवाद प्राप्त हुए जिनमें से 16050 परिवादों का तर्कसंगत निष्कर्ष निकालकर निस्तारण किया गया। इस वर्ष भी 3251 दर्ज हुए जिनमें 2714 का निस्तारण किया जा चुका। यह प्रसन्नता का विषय है कि आयोग द्वारा प्रेषित 200 दिशा निर्देशों में राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों ने करीब 160 मामलों में क्रियान्विति कर आयोग को सूचित किया है।

जस्टिस एन.के.जैन (पूर्व मु.न्यायाधिपति मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट) वर्तमान चैयरपर्सन राजस्थान राज्य मानवअधिकार आयोग ने अपने साक्षात्कार में बार बार यह स्पष्टीकरण दिया है कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कर्त्तव्य का निर्वहन समर्पित भाव से किया जाए। क्योंकि एक में ही पुष्पित व पल्लवित हो सकता है। मानव अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन व क्रियान्वयन सम्पूर्ण मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता है। मानव की जन्मसिद्ध अधिकार है। यह स्वतंत्रता श्रीमद भागवत गीता के अन्दर दर्शायी गई है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोह मुक्त कर उसे अपने कर्त्तव्य निर्वहन के लिए प्रेरित किया और युद्ध के लिए तैयार किया। कृष्ण ने यह भी संदेश दिया

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्मफल हेतु भूर्मा तेसडोडस्त्व कर्मणि।।"

अर्जुन का कर्तवा है कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करे और नपुंसकता त्यागे। युद्ध में हार-जीत की चिन्ता भी अर्जुन को नहीं करनी है क्योंकि फल-उसके हाथ में नहीं है, केवल कर्तव्य उसके हाथ में है।

आज हमारा देश विषद संविधान रखता है। उसी प्रस्तावना में मूलभावना दर्शायी गई है। देश के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने की भी अपेक्षा की गई है। तभी हम संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ मिलेगा। इसलिए जैसा व्यवहार हम दूसरों से हमारे लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना होगा। विधि विशेषज्ञ व अनुभव सिद्ध जस्टिस जैन अपनी अवधारणाओं में काफी सुस्पष्ट हैं। वे पीड़ितों, महिलाओं, बालको व वृद्धजनों के प्रति समाज में सुन्दर व्यवहार की अपेक्षा रखते है और सरकार व व्यवस्थापकों से मांग करते हैं कि पीड़ितों व वृद्धों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात करे। जो गैर जिम्मेदराना तत्व या असामाजिक तत्व मानव अधिकारों को क्षति पहुंचाना चाहते है उन्हें उचित दण्ड मिलना चाहिए और समाज में सौहार्द व भाईचारा बचाना चाहिए। जैन धर्म में भी मानव अधिकारों का संरक्षण कर्त्तव्य निर्वहन में ही बतलाया गया है। आयोग द्वारा प्रकाशित "अणुव्रत एवं मानव अधिकारों" नामक बुकलेट में छोटी छोटी बातों का पालन करने पर बहुत बड़े अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते है, ऐसा दर्शाया गया है। जस्टिस जैन का मन्तव्य है कि हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थ मानव अधिकारों के संरक्षण एवं मानव मूल्यों के शिक्षण में काफी मददगार है। हमें उक्त ग्रन्थों में से ऐसे प्रकरण खोजकर समाज के सम्मुख रखने चाहिए जिससे स्थाई लाभ मिल सके और हमारा विश्वास बढ़ सके।

वस्तुतः चेयरपर्सन जस्टि एन.के.जैन ने राजस्थान को मानव अधिकारों के लिए जनजागरण करने में अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है। आयोग की पंचवर्षीय प्रगति अभिनन्दनीय है, ऐसा मेरा अभिमत है।

– एम.एल. धौंकरिया

आयोग के विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान में लोकतंत्र व संविधान की आत्मा का स्वरूप निखरा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 ए को आत्मसात कराने में जस्टिस जैन ने व्यक्तिगत ईच्छाशक्ति का प्रदर्शन व निज कर्मपथ को गतिमान बनाया है वह श्लाघनीय ही नहीं अपितु लोकतंत्र के इतिहास में लिखने योग्य स्वर्ण पंक्तिया भी है।

Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

"We are proud to be Indian"

It shall be the duty of every citizen of India:

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION ."

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)

For Legal awareness and in Public Interest published by : Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur

website : rshrc.nic.in, herenow4u.de http://justicenagendrakjain.com

Courtesy : Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur
Phone : 0141-2751417, 2751352

'There is no work culture in Rajasthan'

FACE TO FACE Says ex-SHRC chairperson Justice NK Jain

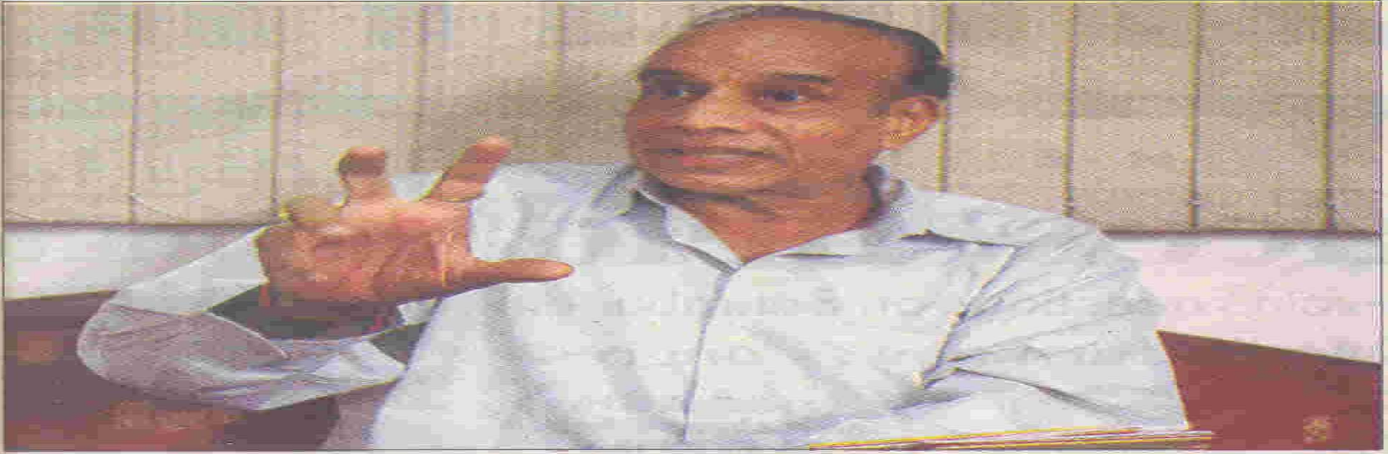

Justice Jain says that one has to get things done despite hurdles. HT PHOTO

Justice NK Jain has just finished his tenure as chairperson of the Rajasthan State Human Rights Commission. Justice Jain, a former chief justice of the high courts of Madras and Karnataka, was appointed to head the state commission in 2005. Prior to his appointment, he was heading the human rights commission in Himachal Pradesh.

Few may know that he has also been a national level badminton player and says that sports teach one to face defeat with equanimity. In an interaction with Team HT, Jain recounts the challenges of heading the commission.

Are you satisfied with your tenure?
Yes, I am satisfied with my term. There are always hurdles in any job. But if we only keep pointing to the hurdles, no work will ever get done. Despite hurdles, you have to find your way and get things done. The biggest hurdle is lack of government will.

What are the problems you faced during your tenure?
I think the issues are well known. My predecessor Kanta Bhatnagar left because the conditions are less than satisfactory. There is no financial autonomy and there is no freedom to choose people and make appointments. I made a recommendation that service rules be framed but it is pending with the government since 2005.

You have been in many states. How would you compare Rajasthan to them?
The main problem is that there is no work culture in Rajasthan. The workers are given too many facilities. People indulge in pulling each other down. In Tamil Nadu, my experience was that the politicians would come together on issues of development. In Himachal too, the work culture is good.

Do you face a fund crunch?
Yes, we have asked the government to increase the budget. We have a budget of Rs1.3 crore of which Rs20 lakh are for TA/DA, travel and spreading awareness. We made 34 books on awareness about rights and duties of people. We got 90,000 published from the national Human Rights Commission and these were distributed free of cost. We also got 1,40,000 calendars published to spread awareness.

What needs to be done to change the situation? Do you think the bureaucracy is negative?
Things will not improve unless the government has administrative will. It is not enough just to make announcements. No one wants to do the work they should do. The state is supposed to be a welfare state but government is not discharging its functions.

The bureaucracy is always negative. The employees are controlling everybody and the government is appeasing them.

What would you say when such an important Commission remains headless or the governments make ad hoc arrangements?
Ad hoc arrangements violate the rule. This means the person who is acting is not eligible for the post. In some cases such orders have been satiated. The governments do not exercise its administrative powers to appoint the chairmen of the Commission on time. The Government knows when a chief is going to retire so the procedures can be initiated earlier. But I think no body is bothered in filling up the post immediately.

How do the government agencies response to Commission orders?
The government agencies response properly. Since the Commission simply tell them justice demands that you should explain the things before us and it do not than we will recommend actions against you. They are aware of the fact that the Commission does not have power of its own, however it can adversely affect them by highlighting their apathy in serious matters like violation of human rights.

Does the Commission's investigation wing help in resolving cases?
Some cases, yes. But Inspector General level officers can not be expected to investigate cases and lower level officers are well-trained. They need proper training about human rights. Fortunately, during my tenure, the Commission had a few well trained officers who were instrumental in resolving cases.

Do you think the commission is toothless and not taken seriously by the government?
Well, an amendment in this regard to give more powers is pending in parliament since the past five years. Inspite of everything, work is happening but the expectations from the commission are too many.

What is the composition and function of the State Human Rights Commission?
The main function is to see that the government agencies discharge their functions properly. The role of the SHRC comes when a complainant approaches us with the grievance that a government servant is not discharging his or her duty properly. The SHRC chairman has a five-year term. The chairman is appointed by a panel comprising the chief minister, leader of opposition, assembly speaker and home minister.

COORDINATED BY URVASHI DEV RAWAL

फैसलों का 'खिलाड़ी'

नरेन्द्र कुमार जैन, अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग, राजस्थान

राइट जजमेंट

मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं और स्पोर्ट्स मैन स्पीरिट का मुझे जिंदगी भर फायदा मिला। इन गुणों के कारण मुझे वकालत एवं जज के कार्यकाल में सफलता हासिल हुई। बैंडमिंटन के कई राष्ट्रीय मैचों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से तो मैं जज रहा लेकिन बचपन से ही मेरे अंदर एक खिलाड़ी छिपा हुआ था। यही कारण था कि मेरा पढ़ाई की बजाय खेल के प्रति ज्यादा झुकाव रहा है। आज भी किसी बच्चे को फालतू घूमते देखता हूं तो उसके पेरेंट्स को यही सलाह देता हूं कि वह उसे खिलाड़ी बनाए ताकि उसका व्यक्तित्व निखर कर आए, उसमें टीम भावना, समर्पण, दृढ़ निश्चय और संघर्ष की भावना विकसित हो। स्पोर्ट्स में रुचि होने के कारण मैंने 14 वर्ष की आयु में बैडमिंटन का रैकेट थाम लिया। पढ़ाई में सामान्य स्टूडेंट था, मगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सबसे आगे। महावीर स्कूल से 12वीं पास करने के बाद महाराणा कॉलेज में बीएससी में प्रवेश लिया, पर बैडमिंटन के लिए कैम्प में इधर-उधर जाना पड़ता था। इसलिए अटेंडेंस शॉर्ट हो गई और मुझे बीए की ओर रुख करना पड़ा। बीए करने के बाद जोधपुर कॉलेज से लॉ किया। चूंकि पापा पहले वकील बाद में हाइकोर्ट जज थे, इसलिए मैंने भी वकालत शुरू कर दी। हालांकि पैरेन्ट्स इंजीनियर बनाना चाहते थे। वकालत में आने के बाद स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव तो नहीं रह पाया मगर जहां भी पोस्टिंग रही वहां हर खेल का अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मैच देखने जरूर जाता था।

चौपाटी पर मस्ती और मूवी

एक बार हम स्पोर्ट्स कैम्प के सिलसिले में मुंबई गए, वहां दिनभर प्रेक्टिस के बाद रात को सभी साथी अप्सरा थिएटर में रोजाना फिल्म देखने जाते। शो से लौटते वक्त चौपाटी पर घूमते और चाट-पकोड़ी खाते। माउंट आबू के एक कैम्प के दौरान हम सबने रात में सोए हुए अपने गुरुजी को यूं का यूं सड़क पर लिटा दिया। बाद में वे बहुत नाराज हुए। मगर हमने उन्हें मना लिया। उस समय कोच और खिलाड़ी में अच्छे सम्बंध हुआ करते थे। वे एक दूसरे के मजाक का बुरा नहीं मानते थे।

अधिकारों के साथ कर्त्तव्य भी जानें

अपने अधिकारों के प्रति लोगों में जागरुकता आ रही है, लेकिन सिविक ड्यूटीज के प्रति अभी भी लोग अवेयर नहीं है। लोगों को अधिकारों के साथ ड्यूटीज पर भी गंभीर होना चाहिए। आखिर आप किसी से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते है तो आपको खुद को भी वैसा ही व्यवहार करना होगा।

टाई के पैसे देने भूल गए

1961 में हम नेशनल्स खेलने के लिए अमृतसर गए थे। एक दिन शॉपिंग के दौरान वहां टाई ट्राई कर रहे थे, बातों-बातों में ध्यान नहीं रहा और पैसे दिए बिना टाई पहनकर कैम्प में आ गए। जब कोच को यह जानकारी मिली तो उन्होंने डांटा और पैसे देकर आने के लिए कहा। हम पैसे देने गए तो शॉपकीपर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने हमें अन्य खरीदारी में डिस्काउंट दिया।

महत्वपूर्ण केस

मैंने तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान में बतौर हाईकोर्ट जज व चीफ जस्टिस रहते हुए कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। इनमें कुछ केस देश के कई बड़े राजनेताओं से सम्बंधित थे। जैसे सोनिया गांधी के विदेशी मूल का केस, उमा भारती का तिरंगा झंडा प्रकरण, राष्ट्रपति चुनाव में आरक्षण का केस और सुषमा स्वराज, जयललिता, मारग्रेट अल्वा व दयानिधि मारन से सम्बंधित केस हैं। इसके अलावा मशहूर चंदन तस्कर वीरप्पन और लिट्टे से संबंधित बाशा का केस भी उनके विचाराधीन आया। राजस्थान में एसएमएस स्टेडियम में खेल गतिविधियां, रामनिवास बाग, राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, गंगानगर में स्टूडेंट्स के एग्जाम सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई की।

एक लाख केस

बतौर जज मैंने करीब एक लाख मुकदमों पर फैसला सुनाया। किसी केस के फैसले को कभी भी एक सप्ताह से ज्यादा समय के लिए पेंडिंग नहीं रखा। जोधपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पेंशन मेरे ही प्रयासों से शुरू हुई।

प्रोफाइल

- राजस्थान हाइकोर्ट में जज।
- मद्रास हाईकोर्ट व कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस।
- हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के साथ लोकायुक्त का कार्यभार संभाला।
- वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष।

■ *मुकेश कुमार शर्मा*